

२०/१२/२१

वादी स्वतः वकीलवादी जव उपस्थित नहीं।
बार-२ आवाज दिलाई गई। किन्तु कोई
उपस्थित नहीं आया। ऐसी स्थिति में दावा वादी
अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। घत्रावली दाखिल दफ्तर है।

उप खण्ड अधिकारी
फलाड़ी (भरतपुर)